

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

South East Central Railway मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल,महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) HEAD QUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

No: P-HQ/Wel/350/Academics/2024-25/12-2

Date: 08.07.2025

AGM.
CAO(CON)/BSP
All PHODs/CHODs
DRM/BSP, R, NGP
EWMWRS/R, CWM/MIB/NGP
Dy.CMM/GSD/R.
SEC Railway

कर्मचारी हित निधि अधिसूचना सं 03/2024-25

Staff Benefit Fund Notification No.03/2024-25

विषय:- वर्ष 2024-25 के शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टाफ बेनीफिट फंड (एसबीएफ) से अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार।

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2014/FU-1/1 दिनांक 01.06.2015 (RBE No. 54/2015 & स्थापना नियम सं. 83/2015)

Please peruse Railway Board's letter under reference regarding Cash Award to the wards of Railway Employees for outstanding performance in Academics from Staff Benefit Fund (SBF).

कृपया रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित पत्र का ध्यान दे। (शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ़) से नकद प्रस्कार देने के संबंध में)

- 1. The objective of the Scheme is to recognize and encourage wards of railway employees for their outstanding Performance in the field of academics.
- 1. इस योजना का उदेश्य शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना है।
- 2. The Scheme will be financed under the heading "Education and Scholarship for higher education for Girls and Boys "under Staff Benefit Fund" (SBF).
- 2. एसबीएफ़ के तहत लड़िकयों और लड़कों के लिए उच्च शिक्षा और छात्रवृत्ति शीर्षक के तहत इस योजना का वित्तपोषन किया जाएगा ।
- 3. the Scheme will be applicable only to the wards of permanent Railway employees, who are eligible for the benefit of SBF, as per SBF Rules.
- 3. यह योजना केवल एसबीएफ़ नियमों के अनुसार, स्थायी रेलवे कर्मचारियों के बच्चों पर लागू होगी, जो एसबीएफ़ के लाभ के लिए पात्र है।
- 4. as per scheme, annual cash award shall be applicable only to the wards of eligible railway employees, studying <u>from VI standard to Post Graduation</u> from any recognized Board/ University.
- 4. स्कीम के अनुसार, वार्षिक नकद पुरस्कार केवल योग्य रेल कर्मचारियों के बच्चो के लिए होगा, जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/कॉलेज/विश्वविद्यालय से कक्षा छठी से स्नातकोत्तर मे पढ़ रहे है।

- 5. The parameters of outstanding performance, number of such scholarship and cash amount are to be decided by the Zonal SBF Committee depending on availability of Funds under SBF and no. of eligible applications.
- 5. नकद राशि के मूल्य का निर्धारण ज़ोनल एसबीएफ़ कमेटी द्वारा एसबीएफ़ के तहत धन की उपलब्धता और पात्र आवेदनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।
- 6. There should be continuity in the studies no drop out will be covered under the scheme.
- 6. अध्ययनो मे निरंतरता होना चाहिए। योजना के तहत अध्ययन मे कोई विराम नहीं होना चाहिए।
- 7. The scheme should be effective for the academic year 2024-25 onwards Railway employees shall have to submit Their application to the respective SBF Committee in the prescribed application from (sample copy enclosed) along with a certificate from the Head of the Institute/School/Collage/University and attested photocopy of the mark sheet (copies to be enclosed).
- 7.यह योजना 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रभावी होगी । रेलवे कर्मचारियों को संबंधित एसबीएफ़ कमेटी को अपने आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र (नमूना कॉपी संलग्न) में संस्थान/स्कूल/कॉलेज/ विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि के साथ जमा करना होगा और मार्क शीट की प्रतिलिपि संलग्न होना चाहिए।
- 8. The amount of cash award shall be given only through account payee cheque or online transfer in the name of the eligible wards.
- 8. नकद पुरुस्कार की राशि का भुगतान केवल योग्य बच्चों के नाम पर चेक या ऑनलाइन हस्तांतरण के द्वारा दी जाएगी.
- 9. Wards/students already in receipt of scholarship as per extant provisions under SBF shall also be eligible for awards under the scheme to the extent of the difference in the scholarship amount of the two schemes.
- 9. एसबीएफ़ के अन्तर्गत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पहले से ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चे/छात्र' भी इस योजना के तहत प्रस्कार के लिए पात्र होंगे.
- 10. In case of tie between students, girl child will be given preference. In case of tie among boys (or) among girls, the senior in age would get preference.
- 10. छात्रों के बीच समानता होने पर लड़की को प्राथमिकता दी जाएगी। लड़को व लड़िकयों के बीच टाई के मामले में विरिष्ठ आयु के लड़को व लड़िकयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 11. In case of any dispute, the decision of the SBF Committee shall be final.
- 11. किसी भी विवाद के स्थिति में, एसबीएफ़ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 12. The grants/Payments under different Heads from SBF are subject to availability of funds and at the discretion/ decision of SBF committee, which shall be final. Hence it is clearly mentioned in the notification that mere submission of applications for cash award from SBF does not ipso-facto entitles staff to be considered for such award and get sanctioned with such.
- 12. यह स्पष्ट रूप से अधिसूचना में उल्लिखित है की नकद पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने मात्र से उम्मीदवार की पात्रता निश्चित नहीं हो सकती .एसबीएफ़ से विभिन्न मदों के अंतर्गत अनुदान/भुगतान एसबीएफ़ समिति का विवेकाधिकार है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- 13. The criteria for giving cash award to the wards of NG Railway employee for outstanding performance in Academics for the <u>year 2024-25</u> will be as under:
- 13. <u>वर्ष 2024-25</u> के लिए शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार देने का मानदंड निम्नानुसार होगा:

Jua Surx

Class	Result Position		
	CGPA system	% of mark system	
- equal-t	10 CGPA	90% & above	
X Board/10वी बोर्ड	9 CGPA & above 80 % & abov		
Final exam published by Board बोर्ड द्वारा प्रकाशित अंतिम परीक्षा	Top 10 in state level		
	Top 10 in National level		
XI(HOME) & XII (Board)	80% & above		
XI Result परिणाम	Top 10 in state level		
XII Result of final exam by board बोर्ड द्वारा अंतिम परीक्षा का परिणाम	Top 10 in National level		
Graduatic:: Diploma स्नातक डिप्लोमा	Technical/तक्तनीकी 85% & above		
After completion of final exam अंतिम परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत	Non-technical/ गैर तकनीकी 75% & above		
	University topper (Tech/Non Tech)		
ost Graduation/स्नातकोत्तर	Technical/तकनीकी 85% & above		
fter completion of final exam	Non-technical/ गैर तकनीकी 75% & above		
ांतिम परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत	University topper		

Up to Std. X, CGPA (Cumulative Grade Point Average) system will be followed and where CGPA system is not applicable, the Percentage system will be followed. कक्षा दसवी तक सीजीपीए (संचयी ग्रेड पॉइंट औसत) प्रणाली का पालन किया जाएगा और जहा सीजीपीए प्रणाली लागू नहीं होगी, प्रतिशत प्रणाली का पालन किया जाएगा।

- 14. The individual award will be decided keeping in view the no of eligible applications.
- 14. व्यक्तिगत पुरस्कार राशि का निर्णय प्राप्त आवेदनो की संख्या के आधार पर किया जाएगा।
- 15. It is therefore, requested to circulate the same to all your staff. The details of the scheme can be downloaded from the link mentioned below:
- 15. उपरोक्त योजना के लाभ हेतु विस्तृत प्रचार प्रसार कर्मचारियों के बीच किया जाए। इस योजना का विवरण नीचे दिये गए लिंक से डाऊनलोड भी किया जा सकता है:

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/establishmen/E%28W%29/201 5/RBE_54 2015.pdf. and http://www.secr.indianrailways.gov.in [Homepage About us> Departments Personnel Welfare Activities]

- 16. Staff may submit their applications in the prescribed proforma in Divn/Workshop Unit/HQ on or before 01.08.2025.
- 16. कर्मचारी निर्धारित आवेदन को अपने मण्डल/कार्यालय यूनिट/मुख्यालय मे दिनांक 01.08.2025. को या उससे पहले जमा कर सकते है।

17. After scrutiny of the applications, all Divisional/Workshop Unit authorities of SBF committee are requested to send eligible applications along with consolidated statement of applicants to HQ's office on or before 08.08.2025.

17. सभी विभागीय/कार्यशाला यूनिट के प्राधिकारी से निवेदन है की प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद आवेदकों के समेकित विवरण के साथ मुख्यालय कार्यालय में 08.08.2025 को या उससे पहले अग्रेषित करें।

Before recommending the names to the Secretary, SBF committee, it is the responsibility of Sr.DPO's/APOs of Divisions/WS to verify the authenticity/ eligibility criteria Claims/ Vouchers/Certificates and satisfy themselves in all respect with regards to eligibility and genuineness of the staff for such award from SBF. The application should be submitted in prescribed form along with all relevant certificates from the Head of the Institution/School/ College/ University and attested photocopy of mark sheet. No application will be considered

after the last date i.e 01.08.2025.

मण्डल/ कार्यशाला में पदस्थ वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक अधिकारी के द्वारा,
प्रामाणिकता/पात्रता मानदंड/रसीद/प्रमाण पत्र की पुष्टि के उपरांत योग्य आवेदनों की अनुशंसा सचिव, एसबीएफ समिति
को की जाए। आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में संस्थान/स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाणित फोटोकापी के
साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतिम तिथि, दिनांक 01.08.2025 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया
जाएगा.

संलग्न: यथोक्त(आवेदन पत्र)

(Raghvendra Singh)

Assistant Personnel Officer(HQ) for Principal Chief Personnel Officer

Copy forwarded for information and necessary action for wide publicity among the staff to :-

1. Sr.DPO/BSP, NGP & R, Sr.DPM/BSP,R, NGP.

2. APO(CON)/BSP, AWPO/WRS/R, AWPO/MIB/NGP.

3. GS/SECRMC, ZS AISCSTREA/BSP SECROBCEA/BSP

4. All concerned, Notice Board

for Principal Chief Personnel Officer

आवेदन पत्र

वर्ष 2024-25 के शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ़) से अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार.

1	कर्मचारी का नाम	
2	पदनाम	
3	नियुक्ति तिथि	
4	पे बैंड एवं ग्रेड पे	
5	मूल वेतन(वेतन पर्ची संलग्न करे)	
6	कर्मचारी संख्या/पी.एफ.संख्या	
7	विद्यार्थी का नाम	
8	विद्यार्थी की जन्म तिथि	
9	आवेदक के साथ संबंध(पुत्र/पुत्री)	. *
10	अध्ययन के संस्थान का नाम और पता	
11	कक्षा पाठ्यक्रम	
2	पाठ्यक्रम् की अवधि	्राणित प्रमाण पत्र/मार्कशीट

13. छात्र का शैक्षिक रेकॉर्ड (विंद्यालय/ कॉलेज के प्रिन्सिपल द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र/मार्कशीट की

प्रतियो दवारा समर्थित किया जाना चाहिए)

उतीर्ण परीक्षा का नाम	उतीर्ण परीक्षा का वर्ष	संस्था	परीक्षा कुल अंक	के	प्राप्तांक	प्रतिशत % CGPA .	कक्षा स्थान	मे

	के सम्बद्धी और विसीय
14	एसबीएफ़ या किसी अन्य स्त्रोत से छात्रवृति और वितीय
1.4	
	सहायता का विवरण
	Control of the Contro

आवेदक का हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
मोबाइल नंबर

कर्मचारी द्वारा उल्लेखित उपरोक्त जानकारी (क्रम संख्या 1 से 9) सेवा पुस्तिका से मिलान की गयी जो सही पाई ं गई। उपरोक्त आवेदन को अग्रिम कार्यवाही हेतु, सचिव/ज़ोनल कर्मचारी लाभ निधि को अग्रेषित किया जाता है।

> हस्ताक्षर पदनाम कार्यालय मुहर विभाग

Certificate from the Principal or Head of the Institution in which the student is studying

Certified that Mr./Ms	
son/daughter of Shri/Smt	employed as
in zone/division/PU/workshop,	is a student of this institution (School/College) and isclass/year(graduation/post graduation for
(course).He /She has see	curedposition/ %age in class /graduation/
Board/University	
•	
Seal of the Institution (School/College)	
	Signature of the Head of the Institution
Date	